न्यायालय : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार।

उपस्थित : आशुतोष कुमार मिश्र, उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–193 वर्ष 2020

F.No.13 of 2021
CNR No.UKHA05-000016-2021
C.No.06 of 2021

श्रीमती कमरूनिशा
पत्नी स्व. इमरान,
निवासी मौहल्ला बाहर किला,
थाना मंगलौर, तहसील रूड़की,
जिला हरिद्वार।

.....पुनरीक्षणकर्ता

प्रति

1. उत्तराखण्ड राज्य,
2. मोहर्रम अली उर्फ पोला पुत्र बशीर,
3. श्रीमती सईदा पत्नी मोहर्रम अली,
4. छोटा वसीम पुत्र लतीफ,
5. रिफाल उर्फ रिशाल पुत्र मोहर्रम अली,

निवासीगण मोहल्ला पठानपुर,
थाना कोतवाली मंगलौर,
जिला हरिद्वार।

.....प्रत्यर्थीगण

अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता : श्री प्रेम चंद मेहरा।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 : श्री अनुज सैनी, ए.डी.जी.सी. दाण्डिक।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी 2 लगायत 5 : श्री मौ. आलम।

संस्थित दिनांक : 05.11.2020
बहस सुनने की तिथि : 27.07.2026
निर्णय पारित करने की तिथि : 12.08.2026

दिनांकः 12.08.2026

निर्णय

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रथम, रूड़की, जिला हरिद्वार (इसे आगे संक्षेप में '**न्यायिक मजिस्ट्रेट**' कहा गया है) द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–133 सन् 2020 श्रीमती कमरूनिशा प्रति मोहर्रम अली उर्फ पोला एवं अन्य (इसे आगे संक्षेप में '**प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद**' कहा गया है) में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2020 (इसे आगे संक्षेप में '**प्रश्नगत आदेश**' कहा गया है) से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत आदेश से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त किया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व विपक्षीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के बीच प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता की किरायेदारी वाली दुकान को लेकर वाद रूड़की न्यायालय में चल रहे हैं, लेकिन विपक्षीगण मुकदमेबाजी की वजह से किरायेदारी वाली दुकान खाली न करने की वजह से प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। कई बार प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता की कब्जेवाली दुकान को खाली कराने को लेकर प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के बच्चों पर विपक्षीगण जानलेवा हमला भी कर चुके हैं तथा प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता की दुकान को तोड़ने का असफल प्रयास कर चुके हैं। दिनांक 20.08.2020 को समय करीब 6:00 बजे सायं विपक्षीगण एक राय होकर अपने हाथों में लाठी–डण्डे, तबल व चाकू लेकर उन्हें जान से मारने की नियत से तथा किरायेदारी वाली दुकान से उन्हें बेकब्जा करने की नियत से उनकी दुकान के अन्दर घुस आये और आते ही मोहर्रम अली, जिसके हाथ में तबल था, और उसके साथ आये सईदा, छोटा वसीम ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को पकड़ लिया और रिफाल ने अपने हाथ में लिए चाकू को प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के सिर पर लगा दिया और प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को जान से मारने का भय दिखाकर कहा कि दुकान को खाली कर दें और मुकदमे वापस ले लें और दो लाख रूपये दें वरना जान से मार देंगे। इतना कहते ही सईदा ने कोरे कागज व स्टाम्प पेपर निकालकर प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के सामने रख दिये और

प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को कागजात व स्टाम्प पर अपना अंगूठा लगाने को कहा।

2क. प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता का आगे यह भी कथन है कि उसने मुकदमे वापस लेने व कागजों पर अपना अंगूठा लगाने से इंकार किया तो सभी विपक्षीगण तैश में आ गये और बोले कि साली को जान से मार दो। इतना कहते ही मोहर्रम अली व उसके बेटे रिफाल ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के स्तन पकड़कर उसे दुकान में ही जमीन पर गिरा दिया और चारों ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के पेट व सीने पर लातें मारी, जिससे प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के कपड़े भी फट गये। प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता ने शोर मचाया तो मौके पर उसका बेटा लुकमान आ गया। लुकमान ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को छुड़ाने की कोशिश की तो इन सब लोगों ने अपने हाथ में लिए तबल, लाठी–डण्डे व चाकू से लुकमान को मारपीट किया, जिससे लुकमान को चोटें आयी। तभी घटना की आवाज सुनकर मौके पर अय्युब, हाशिम आदि लोग आ गये, जो प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व लुकमान की जान बचाए। जाते–जाते विपक्षीगण मौका मिलने पर प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवार को जान से मारने व दुकान में जबरदस्ती आग लगाकर उसे दुकान में जिन्दा जलाने की धमकी दिये। उसके बेटे लुकमान को अय्युब सरकारी हॉस्पिटल रूड़की ले गया, जहाँ पर लुकमान का मेडीकल हुआ। घटना की सूचना प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 21.08.2020 को ही थाना कोतवाली मंगलौर में दी तथा उच्च अधिकारियों को भी बजरिये फैक्स घटना की सूचना दे दी, लेकिन कोई कार्यवाही न किये जाने पर दिनांक 24.08.2020 को पुनः पंजीकृत डाक से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार व अन्य उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना प्रेषित की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस थाना मंगलौर द्वारा घटना के सम्बन्ध में प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई मामला न दर्ज करते हुए प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के बेटे फरमान का धारा–107, 116 दं.प्र.सं. में चालान कर दिया। अतः मामला पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3. सम्बन्धित थाना से आख्या आहूत कर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने

प्रश्नगत आदेश से पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त करने का आदेश पारित किया, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया तथा तर्क के दौरान भी निम्नवत् आधारों पर बल दिया गया–

क. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध आदेश पारित किया।

ख. मामले के तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध कारित किया जाना स्पष्ट होता है, परन्तु विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की अनदेखी कारित किया।

ग. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य की भी अनदेखी किया कि कथित घटना के संबंध में कोतवाली मंगलौर ने विपक्षीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 से साठगांठ कर प्रार्थिनी एवं उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 538/2020 पंजीकृत कर लिया तथा उसके बेटों के विरूद्ध धारा 107, 116 दं.प्र.सं. का नोटिस जारी किया।

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। दिनांक 20.08.2020 को प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के पुत्रों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के साथ मारपीट किया गया, जिसके संबंध में थाना मंगलौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 538/2020 पंजीकृत हुआ। इस मामले में पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके पुत्रों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इस आरोप पत्र से बचने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः यह पुनरीक्षण निरस्त किया जाए।

5. सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

6. इस दाण्डिक पुनरीक्षण में प्रश्नगत आदेश की वैधता, शुद्धता एवं

औचित्य का परीक्षण किया जाना है ?

7. पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध यह कथन किया गया है कि दिनांक 20.08.2020 को समय करीब 6:00 बजे सायं विपक्षीगण एक राय होकर अपने हाथों में लाठी–डण्डे, तबल व चाकू लेकर उन्हें जान से मारने की नियत से तथा किरायेदारी वाली दुकान से उन्हें बेकब्जा करने की नियत से उनकी दुकान के अन्दर घुस आये और आते ही मोहर्रम अली, जिसके हाथ में तबल था, और उसके साथ आये सईदा, छोटा वसीम ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को पकड़ लिया और रिफाल ने अपने हाथ में लिए चाकू को प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के सिर पर लगा दिया और प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को जान से मारने का भय दिखाकर कहा कि दुकान को खाली कर दें और मुकदमे वापस ले लें और दो लाख रूपये दें वरना जान से मार देंगे। इतना कहते ही सईदा ने कोरे कागज व स्टाम्प पेपर निकालकर प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के सामने रख दिये और प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को कागजात व स्टाम्प पर अपना अंगूठा लगाने को कहा। उसने मुकदमे वापस लेने व कागजों पर अपना अंगूठा लगाने से इंकार किया तो सभी विपक्षीगण तैश में आ गये और बोले कि साली को जान से मार दो। इतना कहते ही मोहर्रम अली व उसके बेटे रिफाल ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के स्तन पकड़कर उसे दुकान में ही जमीन पर गिरा दिया और चारों ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के पेट व सीने पर लातें मारी, जिससे प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के कपड़े भी फट गये। प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता ने शोर मचाया तो मौके पर उसका बेटा लुकमान आ गया। लुकमान ने प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को छुड़ाने की कोशिश की तो इन सब लोगों ने अपने हाथ में लिए तबल, लाठी–डण्डे व चाकू से लुकमान को मारपीट किया, जिससे लुकमान को चोटें आयी। तभी घटना की आवाज सुनकर मौके पर अय्युब, हाशिम आदि लोग आ गये, जो प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व लुकमान की जान बचाए। जाते–जाते विपक्षीगण मौका मिलने पर प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवार को जान से मारने व दुकान में जबरदस्ती आग लगाकर उसे दुकान में जिन्दा जलाने की धमकी दिये।

8. प्रश्नगत आदेश में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष है कि

प्रार्थिनी द्वारा लुकमान के साथ हुई मारपीट के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट संलग्न किया गया है। जिसके अवलोकन से प्रार्थिनी के पुत्र को साधारण प्रकृति की चोटें आना दर्शित होती है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थिनी व विपक्षीगण के मध्य किरायेदारी की दुकान के स्वामित्व को लेकर विवाद है, जो सिविल प्रकृति का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। जिस कारण मामले में कोई भी संज्ञेय प्रकृति का अपराध होना दर्शित नहीं होता है।

9. प्रार्थना पत्र के अभिकथनों के आलोक में इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष औचित्यपूर्ण एवं शुद्ध नहीं है कि पक्षकारों के मध्य किरायेदारी की दुकान को लेकर विवाद है, जो सिविल प्रकृति का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को पक्षकारों के मध्य विवाद के कारण पर बल न देते हुए यह निष्कर्षित करना था कि क्या प्रार्थना पत्र के कथनों से प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय प्रकृति का अपराध किया जाना दर्शित होता है अथवा नहीं। इसी प्रकार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लुकमान के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रकृति का चोट होना निष्कर्षित किया गया है। यह न्यायालय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के इस निष्कर्ष से भी सहमत नहीं है, क्योंकि लुकमान के आयी चोटों को सम्पूर्ण घ ाटनाक्रम के आलोक में परीक्षित किया जाना युक्तियुक्त होगा।

10. प्रत्यर्थीगण का यह तर्क है कि दिनांक 20.08.2020 को प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता के पुत्रों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के साथ मारपीट किया गया, जिसके संबंध में थाना मंगलौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 538/2020 पंजीकृत हुआ। इस मामले से बचने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 538/2020 दिनांक 22.08.2020 को पंजीकृत हुआ, जबकि प्रश्नगत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 21.08. 2020 को कोतवाली मंगलौर में तहरीर प्रस्तुत किया जा चुका था। अतः

प्रत्यर्थीगण का उक्त तर्क निरस्त किया जाता है।

11. उपरोक्त परिचर्चा के पश्चात् इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अपनी प्रकृति से शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण नहीं है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निष्कर्ष प्रकरण की परिस्थितियों में युक्तियुक्त नहीं है। तद्नुसार, पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–193 सन् 2020 श्रीमती कमरूनिशा प्रति उत्तराखण्ड एवं अन्य स्वीकार किया जाता है।

तद्नुसार, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–133 सन् 2020 श्रीमती कमरूनिशा प्रति मोहर्रम अली उर्फ पोला एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2020 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेशित किया जाता है कि इस पुनरीक्षण में किये गये उपरोक्त सम्प्रेक्षण के आलोक में प्रार्थिनी/पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान कर विधिनुसार उचित आदेश पारित करे। पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थिनी दिनांक 18.08.2026 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, रूड़की, जिला हरिद्वार के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रहे।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ प्रकीर्ण वाद संख्या–133 सन् 2020 श्रीमती कमरूनिशा प्रति मोहर्रम अली उर्फ पोला एवं अन्य की पत्रावली विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूड़की को प्रेषित की जाए।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
दिनांकः 12.08.2026 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रूड़की, जिला हरिद्वार।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर न्यायालय में सुनाया गया।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
दिनांकः 12.08.2026 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रूड़की, जिला हरिद्वार।